न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/172/2025 दायर दिनांकः–01.12.2025 रजि0 न0 2025/403

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री अतर सिंह पुत्र ग्यारसा जाति खटीक निवासी ग्राम रेटी तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०) 321605	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 29.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 01.10.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.12.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2178 दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 21.11.2025 के माध्यम से प्रथम सूचना आवेदन दिनांकः 01.10.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना पर आक्षेप व्यक्त कर सूचना चाही गई थी जिसके अनुसरण में संबंधित अनुभाग से पुनः सूचना संकलित की गई, जिसके अनुक्रम में अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं. सतर्कता/सूकाअ/2025/311 दिनांक 11.12.2025 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी कठूमर को अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा गया है, आगामी कार्यवाही बाबत उपखण्ड अधिकारी से संपर्क स्थापित कर अन्य सूचना/कार्यवाही बाबत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में प्रस्तुत प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2178 दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 29.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर